23-1-20 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.2.20 को पेश हो।

19.2.20 आज बार संघ ने कार्य नही करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.2.20 को पेश हो।

24.2.20 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26.2.20 को पेश हो।

26/2/20 पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष अधिवक्ता उप. । उभयपक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत O7R11 CPC समाप्त की गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दिनांक 12/3/20 को पेश हो।

12/3/20 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस अन्तर्गत O7R11 CPC सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि वादिया द्वारा वाद के अनुतोष में रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त करवाने एवं प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। साथ ही वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 183, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के है। धारा 53 एवं 183 के अन्तर्गत एक साथ दावा नहीं चल सकता। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने न्यायदृष्टांत RRT 2020 पेज 23 प्रस्तुत करते हुए वाद को विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज करने के कथन किए।

अधिवक्ता अप्रार्थिया/वादिया ने जवाब बहस में कथन किए कि वादगत आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा है। वादिया के पिता द्वारा की गयी वसीयत वादिया के अधिकारों पर बेअसर है। धारा Null & void है। जो वादिया के अधिकारों को सुनने का क्षेत्राधिकार भी 207 के RTA के तहत वाद हाजा को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय का है। अधिवक्ता अप्रार्थीया ने न्यायदृष्टांत RRT 2019 पेज 245 पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने के कथन किए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। आदेश 7 नियम 11 CPC के विभिन्न बिंदुओं में से केवल इस बिंदु पर विचारण करना है कि आया वाद विधि द्वारा वर्जित है अथवा नहीं?

21-8-19 आदेश 7 नियम 11 CPC के प्रार्थना पत्र में केवल Plaint/वादपत्र पढ़ा जाता है। वादपत्र के अभिकथनों के सही होने की अवधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। वादपत्र की चरण संख्या 11 (क) में वादिया द्वारा घोषणा के साथ प्रतिकर का अनुतोष चाहा है। 11(ख) में बैयनामा दिनांक 24/6/2005 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि में $1/2$ हिस्से की घोषणा चाही है।

18-9-

वादपत्र के अवलोकन एवं वांछित अनुतोष के विवेचन से यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि वादिया द्वारा वसीयत एवं बैयनामे को निरस्त करवाना चाहती है एवं इनके आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहती है। वाद में सारतः वसीयत एवं बैयनामें को निरस्त किए बिना वादिया को कोई अनुतोष देय नहीं होगा। यह विधि द्वारा

14-1- सुस्थापित तथ्य है एवं समय-समय पर जारी माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतो से स्थापित है कि पंजीबद्ध वसीयत एवं बैयनामा अस्तित्व में आने पर राजस्व न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है यदि ये आरम्भतः शून्य न हो। वाद हाजा में वादिया द्वारा वसीयत/बैयनामा निरस्त करवाने का अनुतोष

27-1- चाहा है जो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। साथ ही धारा 53 एवं 183 का वाद एक साथ संस्थित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया इस

23- न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे एवं विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 07R11 CPC स्वीकार कर वाद वादिया इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल

08-1- दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)